

 <p>सत्यमेव जयते</p>	<p>राजस्थान राज-पत्र विशेषांक</p>	<p>RJASTHAN GAZETTE Extraordinary</p>
	<p>साधिकार प्रकाशित</p>	<p><i>Published by Authority</i></p>
	<p>ज्येष्ठ 2, शुक्रवार शाके 1936-मई 23, 2014 Jvaistha 2, Friday, Saka 1936 - May 23, 2014</p>	

भाग 6(ख)

जिला बोर्डों परिषदों एवं नगर आयोजना संबंधी विज्ञापित्तयां आदि।

अल्पसंख्यक मामलात एवं वक्फ विभाग

अधिसूचना

जयपुर, मई 16, 2014

संख्या प.20(1)अल्प.वक्फ/2014 :- वक्फ अधिनियम, 1995 (1995 का केन्द्रीय अधिनियम संख्या-43) समय-समय पर यथा संशोधित, की धारा 83 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और इस विभाग की अधिसूचना संख्या एफ.10(2)देव./96 दिनांक 15 फरवरी, 1997 की निरन्तरता में राज्य सरकार एतद्वारा उक्त अधिनियम के अधीन किसी वक्फ या वक्फ सम्पत्तियों से संबंधित किसी भी विषय के अवधारणा हेतु सम्पूर्ण राजस्थान राज्य के लिए राजस्थान वक्फ अधिकरण का पुनर्गठन करती है, जिसे राजस्थान वक्फ अधिकरण कहा जाएगा और इसकी अधिकारिता का विस्तार सम्पूर्ण राजस्थान राज्य में होगा। अधिकरण के अध्यक्ष व सदस्य निम्नानुसार होंगे:-

राजस्थान न्यायिक सेवा का जिला जज संवर्ग का अधिकारी इस अधिकरण का अध्यक्ष होगा।

राजस्थान प्रशासनिक सेवा का अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट के पद के समकक्ष का अधिकारी अधिकरण का सदस्य होगा।

राज्य सरकार द्वारा नियुक्त मुस्लिम विधि व न्यायशास्त्र का ज्ञाता एक व्यक्ति अधिकरण का सदस्य होगा।

अधिकरण का मुख्यालय जयपुर में होगा।

राज्यपाल के आदेश से,

Sd/-

गुरजोत कौर

अतिरिक्त मुख्य सचिव,

अल्पसंख्यक मामलात विभाग